

कीनिया को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के पंजे से मुक्त कराने के लिए भारतीयों ने आर्थिक, राज-नैतिक तथा नैतिक सभी प्रकार की सहायता की थी। यह बड़ी विचित्र बात है कि आज उन्हीं भारतीयों को कीनिया से बाहर निकाला जा रहा है। केवल यह कहने से कि उन्होंने ब्रिटेन की नागरिकता के लिए इच्छा व्यक्त की थी, हम अपनी उस जिम्मेदारी से दूर नहीं भाग सकते जो जिम्मेदारी हमारी भारतमूलक लोगों के प्रति है, चाहे उन्होंने किसी भी देश की नागरिकता क्यों न अपना ली हो। हमें उन्हें अपना ही होगा।

राष्ट्रमंडल आप्रवासी विधेयक के बारे में ब्रिटेन के एक समाचार-पत्र, "न्यू स्टैट्समैन" ने लिखा है कि "यह अधिनियम नैतिक, राजनैतिक या संवैधानिक किसी भी आधार पर सम्भव नहीं है।" परन्तु इस प्रकार की आलोचना से उन भारत मूलक लोगों को क्या लाभ हुआ जिनके ब्रिटेन में प्रवेश पर प्रतिबन्ध लग चुका है। इस विधेयक को पास करके हैरल्ड विल्सन हिटलर विन्सन बन गये हैं। हिटलर ने यहूदियों के मामले में बड़ा बवन्डर खड़ा किया था जबकि अब विल्सन ने भारतीय और एशियाई लोगों के मामले में बवन्डर खड़ा किया है। इस विधान से ब्रिटेन की विधि-पुस्तक पर एक अमिट कलंक अंकित हो गया है। यह मजदूर दल की सरकार पर अन्तिम प्रहार होगा। इस समस्या के समाधान के दो उपाय हैं—एक यह है कि प्रभावित लोगों द्वारा 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर सत्याग्रह किया जाए और दूसरा यह है कि भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक सम्मेलन शीघ्र बुलाया जाये, जिसमें ऐसे उपाय खोजे जायें, जिनसे ब्रिटेन पर नैतिक दबाव डाला जा सके। साथ ही ब्रिटेन पर यह भी दबाव डाला जाये कि वह सब प्रभावित लोगों के 10 या 15 वर्ष की अवधि में अपना लेने की बजाय एक ही बार में स्वीकार कर ले।

दक्षिण रोडेशिया शासन द्वारा अफ्रीकियों को फांसी पर चढ़ाये जाने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: EXECUTION OF AFRICANS BY SOUTH
RHODESIAN GOVERNMENT

प्रधान मंत्री, अगुशवित मंत्री, योजना मंत्री तथा विदेश मंत्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी) :
सभा का ध्यान अफ्रीका महाद्वीप के उस भाग में, जहाँ अब भी रंग भेद की नीति कायम है, हुई एक घटना की ओर दिलाती हूँ। दक्षिण रोडेशिया की सरकार ने जेम्स धनामिनी, विक्टर महलाम्बो तथा दुनी शाउरेक नामक तीन अफ्रीकियों को फांसी की सजा देकर घृणित और घोर अपराध किया है। रंग-भेद की नीति का अनुसरण करने वाली रोडेशिया की इस श्वेत सरकार के इस राक्षसी कार्य के प्रति हम अपना क्रोध और घृणा प्रकट करते हैं। मुझे विश्वास है कि सभा का प्रत्येक सदस्य इस बर्बरतापूर्ण कार्य की भर्त्सना करेगा और तीनों अफ्रीकी शहीदों के प्रति सम्मान प्रकट करेगा।

एक सदस्य : मेरा यह सुझाव है कि शहीदों के सम्मान में सभा एक मिनट के लिए मौन खड़ी हो।

श्रीमती इंदिरा गांधी : सभा की भावना को देखते हुए सभा को एक मिनट के लिए मौन खड़ा होना चाहिए।

सभापति महोदय : ठीक है।

(इसके पश्चात् सदस्य थोड़ी देर के लिए मौन खड़े हुए।)

The Members then stood in silence for a short while)

यू० के० राष्ट्र मंडल आप्रवासो विधेयक पर वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव—(जारी)

MOTION RE: STATEMENT ON COMMONWEALTH

IMMIGRANTS BILL OF U.K.—CONTD.

श्रीनाथ पाई (राजापुर) : श्री विल्सन ने इस विधान को पास करके उस सब अचंदाई को त्याग दिया है जो ब्रिटेन की परम्पराओं में विद्यमान थी। दुख तो इस बात का है कि जिस व्यक्ति ने समाजवाद, भाई चारे और समानता के स्वप्न को संजोया था, उसी ने उस सपने को खंडित कर दिया है। कितनी बड़ी विडंबना है कि जो व्यक्ति अपने युवक समाजवादी साथियों को जन्म, जाति या रंग के आधार पर भेद-भाव किए जाने के विरुद्ध लड़ने की प्रेरणा दिशाना करना था, उसने ही ब्रिटेन की विधि-पुस्तक में एक ऐसा विधान जोड़ा है जो रंग पर आधारित भेद-भाव की नीति से परिपूर्ण है। यह ब्रिटेन की समाजवादी परम्पराओं पर कलंक है।

[श्री एस० एम० जोशी पीठासीन हुए।]
[Shri S. M. Joshi in the Chair]

यह कहा जाता है कि “युद्ध का खतरा उस स्थिति में उत्पन्न होता है जबकि कोई राष्ट्र अपनी महत्वाकांक्षाओं की वेदी पर मानव के मूल अधिकारों की बलि चढ़ा देता है। जिन लोगों को मूलाधिकारों से वंचित रखा जाता है, न केवल वे ही कष्ट उठाते हैं बल्कि इससे अन्य कई खतरे भी उत्पन्न हो जाते हैं। ब्रिटेन के इतिहास में श्री एटली का नाम साम्राज्यवाद के परिसमापन के लिए प्रसिद्ध है परन्तु इस विधान के कारण श्री विल्सन का नाम राष्ट्रमंडल के विघटन के लिए प्रसिद्ध होगा। मुझे सखेद कहना पड़ता है कि ब्रिटेन के समाजवादियों, उदारवादियों तथा मानवाधिकारवादियों ने जिस अच्छी परम्परा की स्थापना की थी श्री विल्सन ने उसको ही तोड़ डाला।

ऐसी बात भी कही जा रही है कि भारत राष्ट्र मंडल को छोड़ दे। मेरा इस बारे में यह विचार है कि सरकार इस प्रश्न का निर्णय लेने से पूर्ण गम्भीरता से सोचे, और इस सम्बन्ध में जल्दबाजी में कोई निर्णय न करे। राष्ट्र मंडल तो कुछ विचारों और आदर्शों का प्रतीक है। परन्तु यह तो कहना ही पड़ेगा कि राष्ट्रमंडल की हत्या उसके आलोचकों द्वारा नहीं अपितु उसके संरक्षकों द्वारा ही की जा रही है। साथ ही मैं सरकार को एक सुझाव यह भी देना चाहता हूँ कि सरकार इस प्रकार के प्रश्न पर एक दीर्घकालीन नीति अपनाये। इस समस्या का कामचलाऊ समाधान ढूँढने से गुजारा न होगा। क्योंकि आज यह समस्या क्रीनिया में रहने वाले भारत मूल के लोगों के सामने है।